न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 42/2022 (GCMS No. 2022/44) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अध्यक्ष, महंत नरेशपुरी चेला महंत किशोरपुरी, ट्रस्ट स्व. महंत गणेशपुरी स्मृति ट्रस्ट घाटा मेंहदीपुर बालाजी, तहसील टोडाभीम जिला करौली जरिये अध्यक्ष महंत नरेशपुरी स्व. महन्त गणेशपुरी स्मृति ट्रस्ट घाटा मेंहदीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2018 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम मु.नं. 90/2017 उनवान अध्यक्ष महन्त किशोरपुरी बनाम तहसीलदार टोडाभीम।

उपस्थितिः—

1. श्री परषोत्तम लाल गोयल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 28.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली के आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के गुरू किशोरपुरी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को इस आशय का पेश किया गया कि साबिक ख.नं. 157/186 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा गैर मुमकिन आबादी स्थित ग्राम मेंहदीपुर तहसील टोडाभीम में स्थित है तथा आबादी की भूमि है। रेवेन्यू रिकार्ड की जमाबन्दी संवत् 2000 से 2019 में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है लेकिन सैटलमेंट

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कर्मचारियों ने बिना किसी क्षेत्राधिकार के गलत तरीके से उक्त खसरा नम्बर साबिक के हाल ख.नं. 295 रकबा 8 एयर, 296 रकबा 6 ऐयर, 297 रकबा 6 एयर, 301 रकबा 1 एयर, 302 रकबा 67 एयर कायम किये। जिसमें ख.नं. 295, 296, 297 में गैरमुमकिन आबादी दर्ज की तथा ख.नं. 301 में गैर मुमकिन कुआं दर्ज किया। लेकिन ख.नं. 302 रकबा 67 एयर की किस्म गलत व विधि विरूद्ध तरीके से गैर मुमकिन स्कूल दर्ज कर दी जबकि उक्त खसरा नम्बर में अपीलान्ट के गुरू महंत किशोरपुरी व उनके गुरू महंत गणेशपुरी को ग्राम पंचायत ने दिनांक 16.08.1959 को 2016 वर्गगज का पट्टा जारी कर रखा है। उक्त भूमि में दिनांक 05.03.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा मधुदेवी पुत्री सत्यप्रकाश शास्त्री निवासी मेंहदीपुर को कुल क्षेत्रफल 155.55 वर्गगज का पट्टा दिया हुआ है तथा दोनों पट्टों पर पट्टेधारी काबिज व दखील हैं। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में गैरमुमकिन स्कूल दर्ज होने के कारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को उनवानी मुकदमा महंत किशोरपुरी बनाम तहसीलदार टोडाभीम जो कि धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस के संबंध में पेश किया जिसमें दिनांक 20.03.2013 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम द्वारा की गई 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही को अपास्त कर निर्देश दिया कि उक्त भूमि का साबिक रिकार्ड देखते हुये उसमें आबादी दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय में धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करें। रेस्पोडैन्ट की ओर से कोई कार्यवाही न करने पर महंत किशोरपुरी की ओर से प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र व उसके साथ प्रस्तुत रिकार्ड का समुचित अवलोकन नहीं किया और यह कहते हुये कि कुछ भूमि पर स्कूल बना हुआ है और शेष पर अपीलान्ट मंदिर की रसोई बनी हुई है, प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उक्त खसरा नम्बर 302 पर कोई स्कूल बना हुआ नहीं है और न संचालित हो रहा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि उक्त खसरा नम्बर में कोई स्कूल संचालित नहीं है और ना ही मौके पर बना हुआ है। अपीलान्ट की मंदिर प्रसादी की रसोई व दुकानात बनीं हुई है जिनपर अपीलान्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त भूमि के संबधं में न्यायालय अतिरिक्त जिला

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कलक्टर करौली के पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.03.2013 उनवानी अध्यक्ष महंत किशोरपुरी बनाम तहसीलदार टोडाभीम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट में जारी निर्देश विवादित भूमि के गत बन्दोवस्त के अनुसार उसकी किस्म आबादी भूमि दर्ज है जिसमें गलत रूप से गैरमुमकिन सिवायचक बंदोवस्त के द्वारा दर्ज किया गया है उसे दुरूस्ती हेतु रेस्पो. को इन्द्राज दुरूस्ती करवाये जाने हेतु गैरमुमकिन स्कूल के स्थान पर आबादी अंकित करवाये जाने के हैं। रेस्पो. द्वारा निर्देशों की पालना नहीं करने पर अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडैन्ट द्वारा हल्का पटवारी से मौके की मंगायी गई रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 02 में यह स्पष्ट अंकन किया है कि गत ख. नं. के नये ख.नं. 295, 296, 297, 301 व विवादित ख.नं. 302 बने हैं। व ख.नं. 295, 296, 297 की किस्म जमीन गतानुसार साबिक रिकार्ड गैरमुमकिन आबादी सही दर्ज है तथा ख.नं. 301 गैरमुमकिन कुआं तथा विवादित ख.नं. 302 को गैरमुमकिन आबादी को गलत रूप से कुआं व स्कूल दर्ज कर दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पैरा संख्या 03 में अंकित है कि मौके पर कोई स्कूल नहीं है और न ही संचालित है तथा बालाजी मंदिर की प्रसाद तैयार करने की रसोई व दुकानात हैं तथा बंदोवस्त पूर्व से ही सन् 1959 से ग्राम पंचायत से उक्त भूमि में पट्टा प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थना पत्र केवल साबिक रिकार्ड के अनुरूप हाल रिकार्ड में किस्म परिवर्तन का है जो कि साबिक रिकार्ड से उक्त भूमि की किस्म गैरमुमकिन आबादी स्पष्ट साबित है जिसे सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश गलत तरीके से गैरमुमकिन स्कूल दर्ज कर दिया। सैटलमेंट/बंदोवस्त कर्मचारियों को केवल पुरानी राजस्व इन्द्राज को रिपीट करना था। कानूनन राजस्व रिकार्ड को बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के नहीं बदल सकते और न ही उसे बदलने का कानूनन कोई अधिकार हासिल है। महंत किशोरपुरी का स्वर्गवास दिनांक 08.08.2021 को होने के पश्चात अपीलान्ट को वसीयत के आधार पर उक्त ट्रस्ट घाटा मेंहदीपुर बालाजी का दिनांक 12.08.2021 को विधिवत अध्यक्ष/महंत नियुक्त किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी देखने पर अपीलान्ट के द्वारा इस संबंध में जानकारी करने पर उसे प्रकरण की जानकारी दिनांक 02.03.2022 को हुई। जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति हेतु दिनांक 08.03.2022 को आवेदन किया तथा दिनांक 10.03.2022 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने अपील अन्दर मियाद पेश की है। अपील अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

29.06.2018 को अपास्त किया जाकर विवादित ख.नं. हाल 302 स्थित ग्राम मेंहदीपुर की किस्म गैरमुमकिन स्कूल के स्थान पर साबिक ख.नं. 157/186 के अनुरूप गैरमुमकिन आबादी दर्ज की जावे। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2009(2) पेज 954, आरआरटी 2008(1) पेज 151, आरआरटी 2012(1) पेज 670, आरआरटी 2022(2) पेज 906 पेश की।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपील मियाद बाहर पेश की है। बिलम्ब के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यालय में पक्षकार नहीं थे। धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों पर गौर किया गया तथा माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के गुरू महंत किशोरपुरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के संबधं में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.06.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। महंत किशोरपुरी का स्वर्गवास दिनांक 08.08.2021 को हो गया था। वसीयत के आधार पर अपीलान्ट को दिनांक 12.08.2021 को घाटा मेंहदीपुर बालाजी ट्रस्ट का महंत नियुक्त किया गया। जैसे ही अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी मिली, अपील बिना देरी किये न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लिखित आधार पर्याप्त हैं। तकनीकि आधार पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायालय के मत में अपीलान्ट को अपील पेश करने का विधिक अधिकार है।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2009 से 2012 के मुताबिक विवादित आराजी खसरा नम्बर 157/186 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सवत् 2038–2041 में भी यही

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रविष्टियां दोहराई गई हैं। मुताबिक भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043 से 2062 में उक्त साबिक ख.नं. के नये खसरा नम्बरान 295 रकवा 0.08 हैक्टे., 296 रेवा 0.06 हैक्टे., 297 रकवा 0.06 हैक्टे., 301 रकवा 0.01 हैक्टे. व 302 रकवा 0.67 हैक्टे. बने हैं। खसरा नम्बर 295, 296, 297 की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। ख.नं. 301 की किस्म गैर मुमकिन कुआं दर्ज है जबकि ख.नं. 302 रकवा 0.67 हैक्टे. की किस्म गैर मुमकिन स्कूल दर्ज कर दी गई। उक्त खसरा नम्बर 302 रकवा 0.67 हैक्टे. गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन स्कूल किस आधार पर दर्ज किया गया, पत्रावली पर कहीं भी प्रस्तुत विधिक दस्तावेजों में स्पष्ट नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर में अपीलान्ट के गुरू महंत किशोरपुरी की ओर से प्रस्तुत अपील में मुख्य तर्क रहा है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज थी। महंत गणेशपुरी को ग्राम पंचायत सांकरवाडा ने दिनांक 16.08.1959 को 2016 वर्गगज भूमि का पट्टा दिया। इसी पट्टे की भूमि पर 12 दुकानें तथा सवामनी भोग प्रसाद का कारखाना है। महंत गणेशपुरी ने स्कूल चलाने के लिए कुछ भूमि दे दी थी। बाद में स्कूल का स्थानान्तकरण अन्यत्र हो गया था। इसलिए उस समय राजस्व रिकार्ड में स्कूल दर्ज हो गया था जबकि भूमि शुरू से ही गैर मुमकिन आबादी थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 25.07.2017 में उल्लेखित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 157/186 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी के नये खसरा नम्बर 295, 296, 297, 301 व 302 बनाये गये। ख.नं. 295, 296, 297 वर्तमान रिकार्ड में गैरमुमकिन आबादी दर्ज कर दिया परन्तु ख.नं. 301 रकवा 0.01 हैक्टे. गैर मुमकिन कुआं व ख.नं. 302 रकवा 0.67 हैक्टे. गैर मुमकिन स्कूल दर्ज कर दिया। ख.नं. 302 में वर्तमान में मौके पर ट्रस्ट श्रीबालाजी की 12 दुकाने तथा बालाजी महाराज का भोग प्रसाद तैयार करने के रूप में संचालित हो रहा है। वर्तमान में उक्त ख.नं. पर कोई स्कूल संचालित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विवादित आराजी बावत् राजस्व रिकार्ड तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट का कोई परीक्षण नहीं किया गया। केवल प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती की श्रेणी में नहीं होने, वर्तमान में आबादी बनी हुई नहीं होने तथा ग्राम पंचायत को कितने क्षेत्र के लिए आबादी वास्ते पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है, यह स्पष्ट नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए सरसरी तौर पर बिना स्पीकिंग आदेश के एवं बिना गुणावगुण पर परीक्षण किये अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत सांकरवाडा द्वारा ग्राम मेंहदीपुर में महंत गणेशपुरी चेला श्योपुरी के हक में आवासीय प्रयोजनार्थ 2016 वर्गगज का आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 16.08.1959 को जारी

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किया। वर्तमान में मौके पर आबादी बनी हुई न होना, आवासीय प्रयोजन के बिना मौके पर दुकानों का निर्माण होना, ग्राम पंचायत को कितने वर्गगज के लिए आबादी पट्टा जारी करने का अधिकार होना, ये सब तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अथवा विवादित नहीं थे। ये तथ्य पृथक से जॉच का विषय हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन स्कूल के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी का इन्द्राज दुरूस्ती का था किन्तु राजस्व रिकार्ड का विधिवत परीक्षण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विधिक परीक्षण कर गुणावगुण पर स्पीकिंग आदेश पारित करना चाहिए था। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम का आदेश दिनांक 29.06.2018 खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रकरण के सबंध में गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय अन्दर दो माह पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.7.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर